:: आदेश ::

बैंक आदेशांक 17960 / स्थापना / 2017–18 दिनांक 05.02.2018 द्वारा सावधिजमा अनुभाग को लेखा अनुभाग में विलय कर समस्त कार्यो का संचालन लेखा अनुभाग द्वारा संचालित किये जाने सम्बंधी आदेश जारी किया गया, जिसे एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अग्रेतर सावधि जमा के पुनर्भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो इस हेतु **सावधि जमा अनुभाग** तथा **नियोजन एवं विकास अनुभाग** से सम्बंधित समस्त कार्यो का निष्पादन स्वतंत्र रुप से प्रबन्धक श्रेणी–3(ऋण) द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सावधि जमा के भुगतान हेतु शाखा द्वारा मॉगी गई धनराशि बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित शाखा को भेज दी जाये।

समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा सावधि जमा के पुनर्भुगतान हेतु धनराशि की मॉग **ई–मेल** द्वारा भी की जा सकती है।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांक 18201 / स्थापना / 2017–18 दिनांक : 23-02-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।

3.उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सावधि जमा के पुर्नभुगतान हेतु धनराशि की मॉग की सचना सावधि जमा अनुभाग को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

23.02.18
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)

Mr. Gupta, Sty
MGr II (C)
अनुपालन सुनिश्चित करें।
28/02/2018